न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 32 / 2023 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. मानाराम पुत्र दौलाराम 2. विरमाराम पुत्र दौलाराम जाति रबारी निवासी ताण्डाबेरा तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर	1. वींजाराम पुत्र लच्छाराम 2. दुर्गाराम पुत्र लच्छाराम का.मु. 2/1मोरोदेवी बेवा दुर्गाराम 2/2निम्बाराम पुत्र दुर्गाराम 2/3ववरीदेवी पुत्री दुर्गाराम 2/4कवलीदेवी पुत्री दुर्गाराम 2/5साकुदेवी पुत्री दुर्गाराम 2/6पिंकाकुमारी पुत्री दुर्गाराम 2/7संगीताकुमारी पुत्री दुर्गाराम 3. देवाराम पुत्र लच्छाराम का.मु. 3/1मूलाराम पुत्र देवाराम 3/2पारसराम पुत्र देवाराम 3/3भेराराम पुत्र देवाराम 3/4मोडाराम पुत्र देवाराम 3/5शंकरराम पुत्र देवाराम 4. पदमाराम पुत्र कुंभाराम का.मु. 4/1मंगलाराम पुत्र पदमाराम 5. जोगाराम पुत्र कुंभाराम का.मु. 5/1मोडाराम पुत्र जोगाराम समस्त जातियान रबारी निवासीयान ताण्डाबेरा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 6. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना 7. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कृषि विकास सिवाना 8. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा पादरू

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2018 बअनवान वींजाराम बनाम दौलाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुगनमल परिहार रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—24.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटस ने इस आशय का वाद पत्र पेश किया है, कि अपीलांटस व रेस्पोडेंटस संख्या 01 ता 05 के संयुक्त खातेदारी भूमि सरहद मौजा धारणा मौजूदा राजस्व ग्राम ताण्डाबेरा पटवार हल्का धारणा के खेत खसरा संख्या 550 रकबा 22.12 बीघा व खसरा संख्या 715 रकबा 13.18 बीघा कुल रकबा 36.10 बीघा की अवस्थित है। जिसमें कुंभारामजी के सभी चारों पुत्रों का बराबर बराबर हक हिस्सा है। उक्त वादग्रस्त भूमि में से दौलाराम, जोगाराम व पदमाराम ने अपना हक हिस्सा वादीगण रेस्पोडेंटस संख्या 01 ता 03 को बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज, बिना किसी रजिस्टर्ड इकरारनामा के मौखिक बैचान का वाद पत्र में जिक्र किया तथा इस आधार पर वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंटस संख्या 01 से 03 के नाम दर्ज करने का वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। अपीलांटस की ओर से वकील श्री लुणकरण शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश कर अपीलांट की ओर से जबाव दावा मय विशेष आपत्ति पेश की गई। अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री लुणकरण शर्मा की कोविड काल में मृत्यु हो जाने से सम्पर्क सूत्र नहीं होने से सम्पर्क असफल रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाटस को सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेस्पोडेंटस वादीगण का वाद पत्र बिना किसी रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज तथा बिना किसी प्रोपर स्टाम्प पेपर पर लिखित को आधार मानकर पेश किया। बल्कि तथाकथित बैचान दस्तावेज कुटरचित तैयार किया गया। जबकि भूमि बैचान के संदर्भ में कानुनन धारा 17 इण्डिन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दस्तावेज का होना आवश्यक है। लेकिन वादी रेस्पोडेंट द्वारा अपने वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अनरजिस्टर्ड होने से तथा साधारण पेज पर बिना प्रोपर स्टाम्प का होने से शहादत में शुमार नहीं किया जा सकता था। अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त पत्रावली तनकीयात कायमी के स्तर पर थी। तथा इस स्तर पर पत्रावली के होने से अधीनस्थ न्यायालय के पास विकल्प था कि वो अपीलांट प्रतिवादी की अनुपस्थिति में भी तनकीयात कायम किया जाकर आगे प्रोसिड करते जो विधि सम्मत होता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये बिना उसी रोज अपीलांट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री की गई। अपीलांटस की ओर से वकील श्री लुणकरण शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश कर अपीलांट की ओर से जबाव दावा मय विशेष आपत्ति पेश की गई। अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री लुणकरण शर्मा की कोविड काल में मृत्यु हो जाने से सम्पर्क सूत्र नहीं होने से सम्पर्क असफल रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाटस को सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्रावली में कोविड 19 के लॉक डाउन में बिना तारिखों के चली तत्पश्चात लॉक डाउन खत्म होने पर अदालत मातहत द्वारा उक्त पत्रावली में भारी रिश्वत के बलबुते पर प्रकरण पत्रावली को डिक्री करने का षडयंत्र रचा तब दो साल से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बंद पड़ी पत्रावली एक ही समय में सारी खाली पड़ी आदेशिकाऐ लिख दी तथा पत्रावली तामिल के स्टेज पर थी लेकिन जिसकी तामिल नहीं हुई उनको पूर्वों की तारिखों में तर्क करते हुये षडयंत्र कर एक फर्जी रसीद के आधार पर अचल सम्पति की घोषणा की डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

RLW 2009(1) Page 343
RLW 2006(2) Page 1036
DNJ (SC) Page 364
CUCC (1) 2013 Page 168
AIR 1997 Page 85

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी में से दौलाराम, जोगाराम व पदमाराम ने अपना हक हिस्सा की कृषि भूमि संवत 2029 मगर बदी एकम को वादीगण के पर्वज लच्छाराम को बेचान कर जिसकी रकम भरपाई की रसीद तीनों धणियों दौलाराम, जोगाराम, पदमाराम व कुम्भा ने अपने निशान अंगुष्ठ कर लच्छाराम के हक में लिख दी थी तब से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण/उतरदाता का कब्जा काश्त है। लेकिन संयुक्त परिवार होने व आपसी प्रेमभाव होने की वजह से बेचान की गई भूमि का बेचाननामा पंजीबद्ध नहीं करवाया गया। लेकिन समय अन्तराल के बाद स्व. दौलाराम, स्व. जोगाराम व स्व. पदमाराम के देहान्त के बाद उनके वारिसान के नाम फौतगी नामान्तकरण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया। वादीगण/उतरदाता ने प्रतिवादीगण को उनके पूर्वजो द्वारा बेचान का हवाला देकर कहा गया कि आप के पूर्वजों द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का उनके हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पूर्वज लच्छाराम को बेचान लगभग 45 साल पूर्व कर दिया गया था इसलिए दौलाराम, जोगाराम व पदमाराम के हक हिस्से की वादग्रस्त भूमि का बेचान तहसील कार्यालय सिवाना में चलकर हम वादीगण के नाम प्रतिवादीगण के पूर्वजों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिखित के आधार पर दस्तावेज पंजीबद्ध करवाने का का कहने पर आनाकानी करने लगे तथा बेचान करने की धमकियां देने लगे तब हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 2/1 चुन्नीदेवी व प्रतिवादी संख्या 3/1 मोडाराम के द्वारा अपने पूर्वजों के बेचान लिखित को सही मानते हुये अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में जरिये विक्रय विलेख के बेचान कर दिया तब वादीगण के नाम उनके स्थान पर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 2/1 व 3/1 द्वारा वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 2/1 व 3/1 के हिस्से तक स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों के साथ न्याय करके अंतिम डिक्री विधिवत रूप से पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। उतरदाता के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

RRT 2017(2) Page 873
CCC 2024(3) Page 370

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना—पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचारण के दौरान हम अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री लुणकरण शर्मा का निधन कोरोना काल में हो जाने से हम अपीलांट प्रतिवादी हमारे अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये, इसलिए सुनवाई दिनांक का ज्ञान नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

गई, बाद कोशिस हमारे अधिवक्ता के जुनीयर अधिवक्ता से सम्पर्क कर तारीख 13.02.2023 को सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपी प्राप्त करने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में कोई जानबुझकर देरी नहीं की गई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद भी जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने तथा अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत का सम्मान अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि वादीगण द्वारा वाद में पदर्श दस्तावेजात के मुताबिक प्रतिवादीगण के पूर्वज कुम्भा, दौला, पदमा व जोगा बेटा पोता प्रागाजी जाति रबारी निवासी धारणा द्वारा संवत 2029 में वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पूर्वज लसा, देवा, वीजा, दरगा बेटा पोतरा कुम्भा के पक्ष में सप्रतिफल बेचान कर कब्जा वादीगण/उतरदाता के पूर्वज को सुपुर्द कर दिया गया था। पदमा व जोगा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 2/1

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

चुन्नीदेवी व प्रतिवादी संख्या 3/1 मोडाराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पूर्वजों के बेचान को सही माना है तथा वादीगण के वाद को अपने हक हिस्से तक वादीगण के पक्ष में डिक्री किये जाने की सहमति दी है। pw-1, pw-2 ने अपने मुख्य परिक्षण का शपथ–पत्र पेश किया जिसमें बयान गवाह में वाद की ताईद की गई। अपीलांटगण की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता मुर्कर किया गया। अपीलांटगण की तरफ से जबावदावा मय विशेष आपतियां पेश की गई। हस्तगत प्रकरण के विचारण की अपीलांटस को संपूर्ण जानकारी थी लेकिन न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 02/2018 बअनवान वींजाराम बनाम दौलाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2022 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर